UPMT010046202026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2024/2026
रोहित प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–1115/2025, धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **रोहित** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर, वादी सचिन के साथ गाली–गलौज करना तथा मना करने पर वादी के घर में घुसकर वादी को लात–घूंसों से मारपीट कर तथा उसके सिर में ईंट का रोडा मारकर उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना आदि आक्षेपित है।

उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 333,115(2),352,351(2),125 बी०एन०एस० में पंजीकृत हुई है तथा दौरान विवेचना धारा 109(1) बी०एन०एस० की वृद्धि की गयी है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा राधाचरन उर्फ भूरा पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि वह निर्दोष है, उसे वादी ने गांव में चल रही पार्टीबंदी व चुनावी रंजिश के कारण पुलिस से मिलकर झूंठा फंसाया है। अभियोजन कहानी फर्जी, झूंठी व मनगढ़ंत है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, न विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में है। उसने वादी के साथ जान से मारने की नीयत से कोई मारपीट की घटना नहीं की है, न ही मारपीट करके कोई चोटें पहुंचायी हैं। आवेदक/अभियुक्त के बुआ का लड़का, जो गांव में रहता है, वह पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिसमें आवेदक/अभियुक्त ने सहयोग किया था। वादी दूसरे पक्ष के साथ था। इसी को लेकर गांव में चल रही पार्टीबंदी व चुनावी रंजिश के कारण पुलिस से मिलकर राजनैतिक प्रभाव के कारण फर्जी घटना व फर्जी चोटें दिखाकर उक्त मुकदमें में उसको झूंठा फंसा दिया है। उसकी उक्त मुकदमें में धारा 333,115(2),352,351(2),125 बी०एन०एस० में न्यायालय सी०जे०एम० मथुरा के यहाँ से जमानत दिनांक 20.02.2026 को स्वीकार हो चुकी है तथा अब मुकदमें में धारा 109(1) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी दिखायी जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में गले में फन्दा डालकर जान से मारने का कोई उल्लेख नहीं है, न ही फन्दे का उल्लेख है, फिर भी वादी ने डॉक्टर से मिलकर फर्जी तरीके से मेडीकल कराया, जिसका पता चलने

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.10 13:32:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के बाद डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की गयी है और जाँच चल रही है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा थाने से आख्या मंगाई, जिसमें धारा 109(1) बी०एन०एस० का कोई उल्लेख नहीं था। आवेदक/अभियुक्त ने प्राप्त जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। वादी व पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मुकदमा लिखा गया व फर्जी मेडीकल बनवाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन देरी से करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार धारा 109(1) बी०एन०एस० का कोई अपराध नहीं बनता है। घटना संबंधी कोई हथियार व उपकरण उससे बरामद नहीं हुए हैं। घटना का वादी व उसके परिवारीजन के अलावा अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उस पर गॉव में चल रही पार्टीबंदी व रंजिश के कारण जो झूंठे मुकदमें लगाये गये हैं, उनमें वह जमानत पर है। उनके अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और न ही सजायाफ्ता है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के साथ गाली–गलौज की गयी, मना करने पर वादी के घर में घुसकर उसके साथ लात–घूंसों से मारपीट कर तथा उसके सिर में ईंट का रोडा मारकर उसके सिर व शरीर में गंभीर व प्राणघातक चोटें पहुंचायी गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी है। डाक्टर की राय में भी उसकी चोटें गंभीर व प्राण घातक बतायी गयी हैं। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में गले में फन्दा डालकर जान से मारने का कोई उल्लेख नहीं है, वादी ने डॉक्टर से मिलकर फर्जी तरीके से मेडीकल कराकर फर्जी चोटें बनवायी गयी हैं। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी उक्त मुकदमें में धारा 333,115(2),352,351(2),125 बी०एन०एस० में जमानत मजिस्ट्रेट न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। उसके द्वारा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। उसने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।

5– प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व अन्य पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर, वादी के साथ गाली–गलौज करना तथा मना करने पर वादी के घर में घुसकर उसके साथ लात–घूंसों व ईंट से मारपीट कर चोटें पहुंचाना आदि आक्षेपित है।

मजरूब/वादी सचिन के चिकित्सीय परीक्षण में उसके पाँच चोटें दर्शायी गयी हैं, जिनमें से चोट संख्या 1 सिर के एक्सरे की सलाह दी गयी है तथा चोट संख्या 3 के लिए ईएनटी सर्जन की सलाह दी गयी है, शेष चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयी हैं।

सिर के एक्सरे में मजरूब के कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है।

ईंएनटी सर्जन की रिपोर्ट में चोट संख्या 3 के संबंध में यह अंकित किया गया है कि EPIGLOTTIS POST PHARYNGEAL WALL WNL ARYTENOID ARYEPIGLOTTIC FOLD LEFT SIDE CONGESTED OEDEMATOUS LEFT SIDE CONGESTED MILD CONGESTED ON RIGHT SIDE VOCAL CONGESTED OEDEMATOUS LEFT SIDE CONGESTED ON

RIGHT SIDE WHICH CORRESPONDS TO EXTERNAL INJURY. उक्त रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा उक्त चोट को गंभीर प्रकृति की व जीवन के लिए खतरा बताया गया है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट व चिकित्सक के बयान में भी उक्त चोट को गंभीर प्रकृति की एवं जीवन के लिए घातक बताया गया है।

मजरूब/वादी सचिन की उक्त चोट किस सीमा तक गंभीर एवं जीवन के लिए घातक थी, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा कोई तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **रोहित** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, अपने कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–10.06.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०